मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त, 2003 (श्रावण 16, 1925)

समय 10.30 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगी.

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, समाज कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम,1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा-9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार समाज कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(क) क्रमांक एफ-3-11-2003-छब्बीस-2, दिनांक 1 मई, 2003, तथा

(ख) क्रमांक एफ. 03-11-2003-छब्बीस-2, दिनांक 20 जून, 2003,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री मगनलाल गोइल, मुंशीलाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदाम में रखे गेहूं की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को शिक्षण शुल्क की छूट का लाभ न दिये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, प्राक्कलन समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री राजनारायण सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री नित्यनिरंजन खम्परिया, सभापति, शिवपुरी एवं विदिशा जिले के गांवों में भूख एवं कुपोषण के कारण आदिवासियों की मृत्यु होने संबंधी प्रकरण की जांच समिति का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य

(1) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) दीवान चन्द्रभान सिंह, राज्यमंत्री श्रम, श्रम विभाग की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, अनुसूचित जाति कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में लिये गये विभिन्न नीति विषयक निर्णयों के संबंध में वक्तव्य देंगी.

(4) श्री आरिफ अकील, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के उद्देश्य से तैयार की गई आठ सूत्रीय योजना के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय 2 घन्टे

6. संकल्प

श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह कि यह सदन भारत के संविधान में उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ग) की व्याप्ति के अन्तर्गत आते हैं और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित हैं.".

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) दीवान चन्द्रभान सिंह, राज्यमंत्री श्रम, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण विधेयक, 2003 (क्रमांक 31 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 32 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) दीवान चन्द्रभान सिंह, राज्यमंत्री श्रम, मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 33 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) संशोधन विधेयक, 2003 (क्रमांक 34 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री मानवेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश श्री गणपति मन्दिर खजराना (इन्दौर) विधेयक, 2003 (क्रमांक 35 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 6 अगस्त, 2003